राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3286/2023
सत्यवीर (कर्मचारी आई.डी.–आरजेजेपी199317012188)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड), पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
4. हमीर सिंह, उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकेडमी, शास्त्री नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवारी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर एसीबी, झालाना डूंगरी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2023 एवं 13.12.2022 को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 07.12.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन की अनुशंषा की थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यता परीक्षा वर्ष 2019–20 के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्हें सराहनीय कार्य के लिए प्राप्त हुए प्रशंषा पत्रों को सेवापुस्तिका में इन्द्राज करने बाबत् कथन किया था, परंतु उसके बाद भी अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में समस्त प्रशंषा पत्रों का उल्लेख नहीं किया गया, जिस कारण से अपीलार्थी को सही अंक प्राप्त नहीं हो सके और अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन से वंचित रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि समान मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 में

याची गिरधारी सिंह के संबंध में प्राप्त समस्त अवॉर्ड के अनुसार अंक दिये जाने और उसके पश्चात याची को पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसे नोशनल पदोन्नति दिये जाने के आदेश दिये हैं। रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 निम्न प्रकार से है:–

"9. Being prima facie satisfied, the Court expressed a concerned that if the respondents are directed to award 14 (20-6) additional marks, he may get promotion but rights of some already promoted candidates may be adversely affected and thus it may be against propriety to grant relief behind the back of such candidates.

10. Learned counsel for the petitioner Invited Court's attention towards para No.11 of the writ petition and submitted that one Brij Prakash, would have been an affected candidate but since he has passed away during the promotion cadre course, one post is still lying vacant for the relevant year.

11. Heard learned counsel for the parties and perused the material available on record.

12. Concededly, the petitioner had received 12 awards, out of which only 3 were recorded in his service book.

13. On petitioner's representation, the remaining awards came to be entered in petitioner's service book, however subsequent to promotion exercise. Nevertheless, it is an admitted fact on record that the petitioner had received 12 awards in all during his tenure as Sub-Inspector.

14. In the opinion of this Court, the petitioner cannot be deprived of his legitimate rights because of the lapse on the part of the respondents.

15. True it is, that the petitioner was shown his service-book, whereafter he had given a certificate after being satisfied, but then, the petitioner cannot be put to a disadvantageous position, when it is an admitted case of the parties that he had received 12 awards in all.

16. In the opinion of this Court, even if the petitioner would have objected to or made representation to the respondents about non-inclusion of the remaining awards, it would have been a tedious task to include them and then give him full marks as per his entitlement. Because, recording of entry of the awards after verification would have taken a long time.

17. Be that as it may.

18. In the facts and circumstances of the present case, it is deemed expedient and hence ordered that the respondents shall accord due marks to the petitioner in relation to all awards he has received during his tenure as Sub-Inspector.

> 19. In case after the reallocation of marks, the petitioner becomes eligible for promotion, the petitioner shall be notionally given promotion with effect from the year 2019-2020. The petitioner shall be entitled for actual benefits from the date of the order instant.
>
> 20. Needful be done within eight weeks from today.
>
> 21. The writ petition stands allowed accordingly.
>
> 22. The stay application also stands disposed of."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मामला भी उक्त रिट याचिका के समान ही है। अतः इस मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाये कि अपीलार्थी को प्राप्त अवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान किये जाये।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8033 / 2020 में पारित आदेश अपीलार्थी के प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अतः इस अपील को इस स्तर पर स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उसके उप निरीक्षक पद पर रहने के दौरान प्राप्त समस्त अवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को अंक प्रदान किये जाये। इसके पश्चाते अपीलार्थी यदि पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नोशनल पदोन्नति का लाभ दिया जाये एवं वास्तविक लाभ इस आदेश की दिनांक से प्रदान किया जाये।

4. उपरोक्त कार्यवाही एक माह में पूरी की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)